ऑन लाईन नं.GCMS2022/218

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 69/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजय कुमार –खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 विक्रम किरयाना स्टोर, वी–22 एम.एल., पो.ओ. गणेशगढ जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक : 02.02.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2023 को दोपहर पूर्व 10.10 ए. एम. पर मै0 विक्रम किरयाना स्टोर, वी–22 एम.एल., पो.ओ. गणेशगढ जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रखे बोतल पैक **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** की 15 बोतल 500 मिली को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस **विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** एव गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/218

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** 2 लीटर (500 एमएल की 4 बोतलों) को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 480/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** 2 लीटर (500 एमएल की 4 बोतलों) को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के--1741** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के--1741** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** एव गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- :L.S./455/Act/2023/455 Dated 10-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1741 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **विक्रम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार मै0** विक्रम किरयाना स्टोर, वी-22 एम.एल., पो.ओ. गणेशगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/218

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1741** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./455/Act/2023/455 Dated 10-04-2023 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** बाजार से क्रय किया जाता है। दिनांक 29.03.2023 को मेरी दुकान से **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** को खरीदकर विक्रय किया जाता है। प्रार्थी भविष्य में **सरसों तेल (राज सुपर ब्राण्ड)** खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil (Raj Super)" bearing Code No and Sr. No. K-1741, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **विकम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **विकम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000–00 (अखरे रूपये बाहर हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **विकम प्रकाश पुत्र श्री विजयकुमार** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर